ऑन लाईन नं. RCMS 2024/64

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार , आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 18/2024

1. रामेश्वर लाल पुत्र श्री सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

–अपीलांट

बनाम

1. कमला देवी पत्नी श्री राजकुमार पुत्री श्री राजाराम जाति कुम्हार निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. बृजलाल पुत्र श्री सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. राकेश पुत्र बृजलाल पुत्र जाति कुम्हार निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. विकास पुत्र बृजलाल पुत्र जाति कुम्हार निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. नरेश पुत्र बृजलाल पुत्र जाति कुम्हार निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर ।

– रेस्पोडेंटान

अपील बनाराजी आदेश दिनांक 16.04.2024 न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर अनवानी कमला देवी बनाम बृजलाल आदि प्रकरण संख्या 01/2024 जिसके द्वारा बिना अपीलांट को सुने, बिना पक्षकार बनाये, अपीलांट के रकबा में से रास्ता खोलने का आदेश दिया गया बमुराद मनसुखियॉ।

उपस्थित :

1. श्री मनोहर लाल सहारण, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री महेश दादरवाल , रेस्पोडेन्टस संख्या 1
3. श्री विकम बिश्नोई रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5

:: आदेश :: **दिनांक :– 02.05.2025**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अपने खेत में जाने के लिए रास्ता दिलवाने की बाबत इस आश्य का प्रस्तुत किया कि उसके व उसके पिता के नाम से चक 6 बी.जी. एस. के खाता सं. 99/99 के मुरब्बा नं. 43, 46, 54 में 1.710 हैक्टयर रकबा नहरी मय गै. मु.रास्ता दर्ज हैं। इस रकबा में जाने के लिए सहमति से सभी काश्तकारों ने रास्ता छोड़ रखा हैं। प्रार्थीया के खेत पड़ौसी बृजलाल, राकेश, विकास, नरेश ने रास्ता रोककर लोहे का गेट लगाकर उस पर लोहे का ताला लगाकर उसमें बिजली का करन्ट छोड़ रखा हैं, इस कारण इस रास्ता को खुलवाया जावें। दिनांक 09–04–2024

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

को उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये जिस पर आईन्दा तारीख पेशी 16–04–2024 मुकर्रर की गई। दिनांक 16–04–2024 को दोनों पक्ष में राजीनामा होने के कारण प्रार्थना पत्र मंजूर कर रास्ता खुलवाने का आदेश दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत कर रहा हैं :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश, खिलाफ कानून, इंसाफ व पत्रावली पर दर्ज तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि साथ संलग्न अपील हैं।
2. यह कि अधनीस्थ न्यायालय ने न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की अवहेलना कर समस्त सहकाश्तकारान को बिना पक्षकार बनाये, बिना उनको सुने, सुनवाई का मौका दिये तथा रेस्पोडेन्ट सं. 3 ता 5 जो सहकाश्तकार नहीं हैं। कानूनन सांझा खाता में प्रत्येक सहकाश्तकार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता हैं इस तथ्य की अनदेखी कर प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने आपस में कूटरचना राजीनामा का कथन कर रेस्पोडेन्ट सं. 1 के किला नं. 5, 6, 15 में चालू रास्ता के तथ्य को छुपाकर अपीलांट के किला नं. 3 व 8 में रास्ता देने में कानूनी गलती की हैं इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य हैं।
3. यह कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में यह तथ्य कहीं भी दर्ज नहीं किया कि उसके कब्जा काश्त का 1.710 हैक्टयर किस मुरब्बा में पड़ता हैं और कौन–कौनसे किला उसके कब्जा में हैं और वह किस रास्ता से अपने खेत आ–जा रही हैं जिससे साफ जाहिर हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वच्छ हाथों से हाजिर अदालत नहीं आयी थी और ना ही उसके द्वारा किला नम्बर 3 में किला नम्बर 4 से चिपता हुआ किला नम्बर 8 में जाने के लिए रास्ता खुलवाने की मांग की गई फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किला नम्बर 3, 8 में से रास्ता खुलवाने के लिए कानूनी गलती की हैं इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य हैं।
4. यह कि अपीलांट का मुरब्बा नं. 46 के किला नं. 3 कब्जा काश्त का हैं, इस किला में से किला नं. 8 में जाने के लिए कभी कोई रास्ता किला नं. 4 से चिपता हुआ नहीं था तथा ना ही कभी रास्ता चला और ना ही इस किला में कभी कोई लोहे का गेट रास्ता की जगह लगाया गया और ना ही मौके पर कोई लोहे का दरवाजा लगा हैं जो लोहे का दरवाजा लगा हैं वह किला नं. 5 में लगा हुआ हैं जिसके लिए रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था लेकिन बाद में मुझ अपीलांट को तंग, परेशान व खर्चे से जेरबार करने के लिए व मेरे नाम जो थोड़ा रकबा हैं उसका सस्ते दाम पर खरीदने के लिए चालू रास्ता का आधार बनाकर व प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा आपस में कूटरचना कर मिथ्या कथनों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आदेश प्राप्त किया गया इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं।
5. यह कि चक 6 बी.जी.एस. के खाता संख्या 99/99 के मुरब्बा नं. 43 में 1.265 हैक्टयर रकबा, मुरब्बा नं. 46 में 6.325 हैक्टयर रकबा मय रास्ता, मुरब्बा नं. 54 में 0.506 हैक्टयर रकबा कुल 8.0960 हैक्टयर रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं जिसमें रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के अलावा करीबन 18 काश्तकार ओर दर्ज हैं रकबा सांझा खाता का हैं तथा मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1 ता 5 में मंजूरशुद्धा 20/4/2.24 रास्ता है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 किला नम्बर 5 के मंजूरशुद्धा रास्ता

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

से होते हुए किला नम्बर 6 व 15 में प्रवेश कर अपना रकबा जाती हैं तथा किला नम्बर 5 में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने आवारा पशुओं से फसल को बचाने के लिए लोहे का गेट लगा रखा हैं तथा रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीया द्वारा इसी गेट में करन्ट होने के कारण, रास्ता बन्द होने के कारण उसके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी कर किला नं. 3 में से रास्ता खुलवाने में कानूनी गलती की हैं इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य हैं।

6. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना हेतू गिरदावर हल्का दिनांक 23–04–2024 को मौका पर रास्ता खुलवाने के लिए गये तब मुझ अपीलांट को यह जानकारी हुई कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने कूटरचना कर मुरब्बा नं. 46 के किला नं. 5, 6, 15 में चालू रास्ता को ना दिखाकर किला नं. 3 व 8 में रास्ता दिखाकर रास्ता चालू करवाने का आदेश प्राप्त कर लिया हैं इससे पूर्व अपीलांट को इस आदेश की कोई जानकारी नहीं थी, अपीलांट इस आदेश से हितबद्ध पक्षकार होने के कारण व्यथित, प्रभावित होता हैं इस कारण वह अपील पेश करने का अधिकारी हैं जिसके लिए धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अपील अपीलांट मंजूर फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16–04–2024 निरस्त फरमाया जावें। अपीलांट को सुनवाई का मौका दिया जावें। अन्य कोई आज्ञा जो न्यायसंगत व मुझ अपीलांट के पक्ष में हो प्रदान की जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 09–04–2024 को इस आशय का प्रस्तुत किया था कि चक 6 बी.जी.एस. के खाता संख्या 99/99 के मुरब्बा नं. 43, 46 व 57 में 8.0960 हैक्टयर रकबा दर्ज है जिसमें मेरे नाम 1.710 हैक्टयर रकबा दर्ज है इस खाता के मुरब्बा नं. 46 के किला नं. 1 ता 5 में मंजूरशुद्धा रास्ता है जिसमें से होकर वह अपने रकबा में प्रवेश करती है। सहकाश्तकारों ने आपसी सहमति से मुरब्बा नं. 43, 46 व 54 में रास्ता छोड़ रखा है। अब अप्रार्थी बृजलाल पुत्र श्री सुरजाराम व उसके पुत्रो राकेश, विकास, नरेश पुत्रगण बृजलाल ने किला नं. 5 में लोहे का गेट लगाकर उसमें करण्ट छोड़कर रास्ता बन्द कर दिया है जो पुराना चल रहा है उसको खुलवाया जावे। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हुए पटवारी से रिपोर्ट मंगवायी गई। दिनांक 16–04–2024 को अप्रार्थी हाजिर हुए प्रार्थीया व अप्रार्थीगण ने राजीनामा अनुसार रास्ता खुलवाने का अनुतोष मान लिया जिस पर इसी अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने श्रीमान न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है जो निम्न आधारो पर स्वीकार होने योग्य है।

1. यह कि अपीलांट जो खाता संख्या 99/99 के मुरब्बा नं. 46 के किला नं. 3 का किला विशेष का खातेदार, काश्तकार है। अपीलांट के पास उक्त खाता में इतना ही रकबा है जिसमें उतर से दक्षिण दिशा में 2–2 बिस्वा रास्ता मंजूरशुद्धा है चूंकि प्रार्थी सांझा खाता का सहकाश्तकार था उसको जानबूझकर पक्षकार नही बनाया और तथाकथित राजीनामा का कथन कर मुझ अपीलांट के कब्जा के किला नं. 3 में पूर्व की तरफ 10 चौड़ा रास्ता का आदेश मुझे बिना सुने, सुनवाई का मौका दिये

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

का आदेश प्राप्त किया जो कानून के विपरित है व न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की अवहेलना में किया गया है इस कारण अपीलांट की अपील स्वीकार होने योग्य है व अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने चक 6 बी.जी.एस. के खाता संख्या 99/99 जिसमें करीबन 21 सहकाश्तकार है उनमें से मात्र 2 सहकाश्तकार जो एक प्रार्थी बना और एक अप्रार्थी है इसके अलावा 3 अन्य जिनको पक्षकार बनाया है वह खाता में सहकाश्तकार दर्ज नही है। इन पांचों द्वारा आपस में राजीनामा का हवाला देकर दिनांक 09–04–2024 की तारीख पेशी पर नोटिस जारी हुए और दिनांक 16–04–2024 की तारीख पेशी पर पक्षकारो पर राजीनामा का कथन कर राजीनामा अनुसार रास्ता खुलवाने का निवेदन किया। पक्षकारान में क्या राजीनामा हुआ, ना तो इसका कोई लिखित में पेश हुआ और ना ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में यह तथ्य पेश हुआ कि पक्षकारान का क्या राजीनामा हुआ है जिससे साफ जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने न्याय मस्तिष्क का प्रयोग नही कर प्रार्थीया द्वारा मांगे गये रास्ता की ऐवज में किला नं. 3, 8 व 13 में रास्ता खुलवाने का आदेश कर दिया। इस आधार पर उक्त आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार करने योग्य है।

3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीया कमला देवी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह तथ्य कही भी दर्ज नही किया कि 8.060 हैक्टयर रकबा में उसके कब्जा में कौनसे मुरब्बा के कौनसे किला है तथा वह किन किला में से होकर अपने खेत में आ–जा रही है। अपने प्रार्थना पत्र में उसके द्वारा लोहे का गेट लगाकर उसमें बिजली का करण्ट छोड़कर रास्ता बन्द को, खुलवाने का आवेदन किया है। मुरब्बा नं. 46 के किला नं. 5 में लोहे का गेट लगा हुआ है व उस पर ताला लगा हुआ है, इस तथ्य की अनदेखी कर उक्त लोहे के गेट लगे किला में से रास्ता नही खुलवाकर किला नं. 3, 8 व 13 में से रास्ता खुलवाने का आदेश देने में कानूनी गलती की है इस कारण अपीलांट की अपील स्वीकार होने योग्य है।

4. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि उक्त खाता संख्या 99/99 के अन्य सहकाश्तकार व मुरब्बा नं. 46 के अन्य काश्तकार किस किला में से होकर अपने कब्जा के रकबा में प्रवेश करते है तथा जो फोटो कॉपी साधारण पेज पर सन् 1994 में लिखित को पेश किया वह किसने पेश किया है इस बारे में भी कोई तथ्य दर्ज नही है अगर उस लिखित के अनुसार किला नं. 3, 8 व 13 में रास्ता चल रहा होता तो हल्का पटवारी रिपोर्ट करता तथा प्रार्थीया मुझ अपीलांट को पक्षकार बनाती तथा किला नं. 3, 8 व 13 को अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज करती जिससे साफ जाहिर है कि इन किला विशेष में कभी रास्ता चला ही नही और प्रार्थीया जो इस खाता में सन् 2022 में प्रविष्ट हुई है तब से वह इन किलाविशेष में से होकर अपने कब्जा के किला विशेष में प्रवेश करती रही हो और ना ही उसके द्वारा किला नं. 8 व 13 धर्मपाल काश्तकार के कब्जा के किलाविशेष है उसको भी जानबूझकर पक्षकार नही बनाया है, प्रार्थीया व अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह कर तथाकथित लिखित के आधार पर बिना अनुतोष के किला नं. 3 में राजीनामा के आधार पर रास्ता खुलवाने का आदेश अवैधानिक रूप से प्राप्त किया गया है इस कारण इस आधार पर अपील स्वीकार होने योग्य है और अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त होने योग्य है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

5. यह कि कानूनन व इंसाफन एक ही किला में दो रास्ते नही हो सकते है। किला नं. 3 में उत्तर से दक्षिण मंजूरशुदा रास्ता है और अगर पूर्व की तरफ रास्ता ओर मंजूर कर दिया जाता है तो अपीलांट का रकबा ही काबिल काश्त नही रह पायेगा अपीलांट पूर्व में ही सीमान्त कृषक की श्रेणी में आता है। रेस्पोडेन्ट को इन किलाविशेष में रास्ता की कोई आवश्यकता नही है महज अप्रार्थी से साजबाज कर मुझ अपीलांट को नुकसान पहुंचाने के लिए व मेरा रकबा जबरन सस्ते भाव पर खरीद करने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह आदेश प्राप्त किया गया है इस कारण अपीलांट की अपील स्वीकार होने योग्य है।
6. यह कि अगर प्रार्थीया व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपंजीकृत दस्तावेज कभी भी अस्तित्व में नही आया अगर उक्त दस्तावेज अस्तित्व में होता तो इन किला विशेष किला नं. 3, 8 व 13 व मुरब्बा नं. 94 में भी रास्ता चालू होता लेकिन इन किलाविशेष में कभी रास्ता ना पूर्व में और ना आज के रोज चल रहा है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है और अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य है।
7. यह कि प्रार्थीया को अपने रकबा में जाने के लिए रास्ता की आवश्यकता है तो वह अपना खाता विभाजन कर रास्ता व खाला की सुविधा प्राप्त कर सकती है अथवा धारा 251 (ए) आर.टी.ए. के आधार पर सक्षम न्यायालय से रास्ता स्वीकार करवा सकती है, उक्त राजीनामा के आधार पर वह किसी भी प्रकार से रास्ता प्राप्त नही कर सकती है और ना ही बिना वैध दस्तावेज के वह मेरे किलाविशेष में से रास्ता चालू करवा सकती है इस आधार पर अपील स्वीकार होने योग्य है।
8. यह कि कानूनन व इंसाफन मुरब्बा के पत्थर लाईन पर ही रास्ता मांग उचित है। मुरब्बा के बीच में से प्रत्येक किलालाईन पर रास्ता स्वीकार नही हो सकता। सहखातेदार खाता विभाजन की डिक्री द्वारा ही रास्ता प्राप्त कर सकते है। इस कारण इसी आधार पर अपील स्वीकार होने योग्य है

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अपीलांट की अपील मंजूर फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जाकर सुनवाई का मौका दिया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि :–

1. यह कि अपीलाण्ट द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर के आदेश दिनांक 16.04.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसमें मुरब्बा नं0 46 के किला नं0 3, 8, 13 में पुराने चल रहे रास्ता को खुलवाने के आदेश दिये गये है।
2. यह कि अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट के पिता आपस में भाई थे तथा मुरब्बा नम्बर 46 में प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा था। रकबा संयुक्त होने के कारण तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता राजाराम के पास मुरब्बा नं0 16 ता 20 व 21 ता 25 कृषि भूमि आयी थी जिसके लिए तीनों भाईयों द्वारा आपसी समझौता दिनांक 29.01.1994 के द्वारा किला नम्बर 3, 8, 13 में उत्तर से दक्षिण (पूर्वी हिस्सा) किला नम्बर 4, 7, 14 के साथ विपता हुआ रास्ता छोड़ा गया जो कि पिछले 30 वर्षों से चला आ रहा है। समझौता पत्र 29.01.1994 पर अपीलाण्ट के पिता सुरजाराम की अंगूठा निशानी है। सुरजाराम की भूमि उत्तराधिकार के तहत मिली होने के कारण अपीलाण्ट इस पर पूर्णतया आबद्ध है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

3. यह कि किला नं0 3, 8, 13 पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त नहीं है। बृजलाल वगैरा की काश्त है इसलिए उनको पक्षकार बनाया गया। इसलिए किला नम्बर 3, 8, 13 में अपीलाण्ट का कब्जा काश्त नहीं होने के कारण उक्त अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। चूंकि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र पेश होने पर मौका पर मुरब्बा नं0 46 के किला नम्बर 3, 8, 13 के काश्तकार बृजलाल मौके पर मौजूद था तथा उसके द्वारा रास्ता खोलने की सहमति दी गयी।
4. यह कि अपीलाण्ट बार–बार रेस्पोडेंट के रास्ता को बन्द कर देता है। इसलिए रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाने के लिए उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है। जिसकी फोटोप्रति संलग्न बहस है। यदि श्री मान न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की अपील स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया जाता है तो अपीलाण्ट द्वारा उक्त रास्ता को बन्द कर दिया जावेगा जिससे रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा धारा 251 ए के तहत की गयी कार्यवाही प्रभावित होगी। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाना आवश्यक है।
5. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के बाद विधिक प्रक्रिया के आधार पर मुरब्बा नं0 46 के किला नम्बर 3, 8, 13 में रास्ता खोल दिया गया था जो मौके पर आज भी चालू है तथा जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांकित 30.04.2024 से होती है।
6. यह कि उक्त रास्ता से सभी काश्तकार अपने–अपने रकबा में आ जा रहे है। यदि अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को आपास्त किया जाता है तो अपीलाण्ट प्रस्तावित रास्ता को बन्द कर देगा। जिससे रेस्पोडेंट संख्या 1 अपने हिस्से की कृषि भूमि में आ जा नहीं सकेगी तथा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अं० धारा 251 राज० काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र की कार्यवाही में विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
7. यह कि अधिनस्थ न्यायालय की पालना में पटवारी हल्का द्वारा रास्ता खोल दिया गया है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की क्रियान्विति ही हो चुकी है तो अपील का कोई औचित्य नहीं है।
8. यह कि रेस्पोडेंट संख्या 1 महिला औरतजात है तथा बार–बार प्रस्तावित रास्ता को बन्द कर देतें है ताकि रेस्पोडेंट संख्या 1 को बार बार परेशान करने पर वह अपने रकबा को अपीलाण्ट को बेचकर कहीं अन्यत्र चली जाये की मंशा रखते हुए बार–बार रास्ता को बन्द कर दिया जाता है।
9. यह कि अपीलाण्ट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं है और ना ही वह श्री मान जी के आदेश से व्यथित है। जिसका विस्तृत उल्लेख प्रार्थना पत्र अ० धारा 96 सीपीसी के जवाब में दिया जा चुका है। इसलिए प्रथमतय धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार्य योग्य नहीं है। इसी आधार पर अपील खारिज करने यौग्य है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट खारिज फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

अधिवक्ता अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 की लिखित बहस में नये तथ्यों का समावेश करने का निम्न जवाब पेश करता है :–

1. यह कि दिनांक 30–04–2024 को तहसीलदार द्वारा रास्ता जो रिकार्ड में खुलवाना दर्ज किया है जबकि उसी दिन श्रीमान न्यायालय द्वारा अस्थाई

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

निषेधाज्ञा जारी कर दी गई थी इस कारण भौतिक रूप से किला नं. 3 व 8 में रास्ता नही खुलवाया गया था। किला नं. 5 व 6 में आज भी रास्ता चल रहा है, जहां पर लोहे का गेट लगा हुआ है व श्रीमान स्वयं मौका देखकर इस बात की तस्दीक कर सकते है।

2. यह कि रेस्पोडेन्ट सं. 2 द्वारा अपनी लिखित बहस के पैरा संख्या 2 में जो तथ्य दर्ज किये गये है वह अधीनस्थ न्यायालय में उनके प्रार्थना पत्र में दर्ज नही है अगर समझौता पत्र दिनांक 29–01–1994 पर अपीलांट के पिता सूरजाराम के अगूंठा/हस्ताक्षर निशानी है तो किला नं. 3 व 8 सूरजाराम के हिस्से का है जबकि वह अपने प्रार्थना पत्र में किला नं. 3 व 8 पर बृजलाल का कब्जा बता रहा है जिससे साफ जाहिर है कि मुझ अपीलांट का जो करीबन 1 बीघा रकबा है उस पर जबरन रास्ता खुलवाया जा सके, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने मुझ अपीलांट को न तो पक्षकार बनाया है और ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया है।

3. यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश होने के बाद श्रीमान उपखण्डाधिकारी सादुलशहर के यहां धारा 251 (ए) आर.टी.ए. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो आज के दिन भी विचाराधीन है जिसमें आईन्दा तारीख पेशी 07–05–2025 नियत है अगर मौका पर रास्ता चालू होता तो रेस्पोडेन्ट न्यायालय उपखण्डाधिकारी कार्यालय में धारा 251 (ए) आर. टी.ए. का प्रार्थना पत्र नही लगाते। एक ही रास्ता की बाबत दो सामानान्तर कार्यवाही नही चल सकती अगर रास्ता मौके पर चालू है तो फिर उसके ऊपर धारा 251 (ए) आर. टी.ए. का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है चूंकि किला नं. 3 में रास्ता चल नही रहा है इसलिए उसके द्वारा धारा 251 (ए) आर.टी.ए. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। धारा 251 (ए) आर.टी.ए. के प्रार्थना पत्र में जवाबदेही व मौका रिपोर्ट से ही यह तथ्य साबित होगा कि उपरोक्त रकबा सांझा खाता का है किससे हिस्सा का है, क्या रास्ता पत्थर लाईन से हटकर दिया जावे या पत्थर लाईन से समस्त सहकाश्तकारों को रास्ता प्रदान किया जावे। इस कारण उपरोक्त अनवानी अपील स्वीकार होने योग्य है।

अतः जवाब लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी/अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खारिज कर पत्रावली पुनः अधीनस्थ में सुनवाई हेतू रिमाण्ड की जावें। अन्य कोई आज्ञा जो न्यायसंगत व मुझ अपीलांट के पक्ष में हो प्रदान की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का गहनता से अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि चक 6 बी.जी.एस. के खाता संख्या 99/99 के मुरब्बा नं. 43 में 1.265 हैक्टयर रकबा, मुरब्बा नं. 46 में 6.325 हैक्टयर रकबा मय रास्ता, मुरब्बा नं. 54 में 0.506 हैक्टयर रकबा कुल 8.0960 हैक्टयर रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं जिसमें रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के अलावा करीबन 18 काश्तकार ओर दर्ज हैं रकबा सांझा खाता का हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सादुलशहर द्वारा चक 6 बी. जी.एस. के खाता संख्या 99/99 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अलावा करीबन 21 सहकाश्तकार है उनमें से मात्र 2 सहकाश्तकार जो एक प्रार्थी बना और एक

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी है इसके अलावा 3 अन्य जिनको पक्षकार बनाया है वह उक्त खाता में सहकाश्तकार दर्ज नही है, का आपस में राजीनामा का हवाला देकर दिनांक 16–04–2024 की तारीख पेशी पर राजीनामा के आधार पर जो निर्णय पारित किया गया वह न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि राजीनामा के आधार पर जो आदेश पारित किया जाता है उसमें सभी की सहमति होना अनिवार्य होता है, जबकि उक्त आदेश में अपीलांट रामेश्वर लाल जो कि उक्त विवादित रकबा में सहकाश्तकार है को सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया है जबकि मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1 ता 5 में मंजूरशुदा 20/4/2.24 रास्ता है। अतः अपील अपीलांट आशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सादुलशहर के प्रकरण सख्या 01/2024 अनवानी कमला देवी बनाम बृजलाल आदि में पारित आदेश दिनांक 16.04.2024 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उक्त विवादित रास्ता के सम्बन्ध में सभी पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें तब तक उभय पक्षकारान मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेगें। आदेश की प्रति मय रिकॉर्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर
श्रीगंगानगर